


प्रारूप-28

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य 9.00 किमी. लम्बाई के समरेखण पर मार्ग निर्माण से इस ग्राम सभा/आम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।



ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



ठाठपाल
सरपंच
वन पंचायत चौपडा
उत्तरकाशी

ठाठपाल
सरपंच
वन पंचायत चौपडा
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी. लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हेक्टेएर आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - चापड़ा

तहसील चापड़ा, जिला - उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत वनगाव-चापड़ा-कसलाना परियोजना के निर्माण हेतु 6.522 हेक्टेएर आरक्षित वन, भूमि 0.63 हेक्टेएर सिविल सोयम भूमि रिसर्व हेक्टेएर, वन पंचायत भूमि - Nil हेक्टेएर) अर्थात् कुल 7.152 हेक्टेएर वन भूमि द्वारा लोक सम्मान प्रयोक्ता विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत - चापड़ा द्वारा दिनांक 20.6.16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्राप्ति पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा गई गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधिकों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। 'उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम - चापड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक सम्मान प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/-


ग्राम सचिव



ग्राम प्रधान/सरपंच

ग्राम सचिव मुहर सहित